फर्द अहकाम

न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ (राज.)

FR CIS NO-206-24 (FIR-292-24)

थाना प्रतापगढ गौरव बनाम राजेन्द्र वगैरह

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षरों के नाम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक-29/08/2024

परिवादी गौरव मय अधिवक्ता श्री मनीष नागर उपस्थित। मजीद बहस प्रसंज्ञान सुनी गई। दौराने मजीद बहस प्रसंज्ञान परिवादी अधिवक्ता का तर्क रहा कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा उसके एवं साक्षीगण के बयान सही रूप से नही लिखे और एक पक्षीय अनुसंधान कर अनुसंधान अंतिम नतीजा मामला तथ्य की भूल में पेश किया है। अतः न्याय हित में उसके एवं गवाहान के बयान लेने का आदेश प्रदान करने हेतु प्रोटेस्ट आवेदन स्वीकार किया जावे।

सुना जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के परि वादी गौरव ने आरोपीगण राजेन्द वगैरह के विरूद्व एक परिवाद न्यायालय हाजा में दिनांक-01/06/2024 को इस आशय का पेश किया कि परिवादी द्वारा FIR NO 153/2023 से संबंधित पत्रावली प्राप्त की जिसमें दस्तावेजों के अनुसार मृतक दादी श्रीमती चन्द्रकला का बैंक खाता नं-61309261302 SBI बैंक शाखा प्रतापगढ था जिसमें नॉमिनी कोई नहीं था। उक्त खाते में दिनांक-04/05/2018 तक राशि- ₹1,37,255/-बैलेन्स था। उक्त खाते से आरोपी राजेन्द्र पुत्र भॅवरलाल ने दिनांक-04/05/2018 को कूटरचित दस्तावेज के जरिये चैक का उपयोग कर उक्त राशि की निकासी की। मृतक श्रीमती चन्द्रकला की मृत्यु दिनांक-22/09/2016 को ही हो चूकी थी। उक्त खाते का संचालन कर उक्त मृतक चन्द्रकला के खाते की राशि जरिये चैक नं-82787 से-₹1,37,255/-आरोपी ने स्वयं के खाता नंबर में जमा करा सारी राशि हडप कर ली व दिनांक-08/05/2018 को ही 1,35,000/-रूपये की राशि पुनः निकासी भी कर ली। करीवन दो वर्ष पश्चात् मृतका के खाते को संचालित कर निकलवाई है राशि कूटरचना के तहत किया गया कत्य है। उक्त कार्य में बैंक कार्मिक भी आपराधिक षडयन्त्र का हिस्सा रहे है जिन्होने नॉमिनी के अभाव में विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना आरोपी को लाभ पहूंचाने हेतु मृतक के खाते से आरोपी के हक में उक्त राशि अंतरित करने में सहयोग किया जो धारा-120 बी IPC के आरोपी है। परिवादी द्वारा पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ के समक्ष दिनांक-24/05/2024 को परिवाद पेश किया कोई कार्यवाही नहीं होने पर न्यायालय हाजा में परिवाद पेश किया है।..वगैरह

उक्त परिवाद न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक-05/06/2024 को धारा-156(3)दप्रसं में पुलिस थाना प्रतापगढ को प्रेषित किया,जिस पर उन्होंने प्र.सू.रि. संख्या- 292/24 धारा-467,468,471,420,120 बी भारतीय दंड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया एवं वाद अनुसंधान प्रकरण में नतीजा एफ.आर.मामला अदम वकू तथ्य की भूल का पाया जाकर न्यायालय में पेश की गई,जिससे व्यथित होकर परिवादी ने 12/08/2024 को विरोध याचिका तहत धारा-210(1)(बी)BNSS-2023 में पेश की ।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
प्रतापगढ(राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अब न्यायालय को यह देखना हैं कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री से अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा-467,468,471,420,120 बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों में प्रसंज्ञान लिये जाने के प्रथमदृष्ट्या आधार मौजूद हैं अथवा नही?

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में पुलिस द्वारा पेश अनुसंधान अंतिम नतीजे का अवलोकन करे तो उसमें यह प्रकट हुआ है कि परिवादी की रिपोर्ट पर बैंक आफॅ बडौदा एवं पंजाब नेशनल बैंक शाखा प्रतापगढ में तहरीर जारी कर जानकारी प्राप्त की तो उपरोक्त दोनों बैंकों ने लिखित में अवगत कराया कि उनके यहाँ स्व.भॅवरलाल एवं स्व.चन्द्रकला दोनों के नाम से कोई खाता संचालित नहीं है जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी ने जो लेनदेन किया है वह सही है। तत्कालीन मैनेजर ने उसको नॉमिनी मानते हुए भुगतान अदा किया है जिसका रिकार्ड मौजूद है। वर्तमान मैनेजर ने सभी दस्तावेज उपलब्ध कराये व उस समय जो नॉमिनी फार्म आफॅ लाईन भरा गया जो रिकार्ड में नहीं मिला। यह लिखकर दिया गया। मगर आन लाईन रिकार्ड मोजूद है । स्व.चन्द्रकला का खाता पूर्व में एसबीबीजे में था बाद में 2017 मे एस बी आई में मर्ज हो गया। उक्त मामला वर्ष-2018 का है मगर परिवादी ने 2024 में प्रकरण दर्ज करवाया है जो संदेहास्पद है। परिवादी का पिता पढा लिखा होकर सरकारी अध्यापक था उससे पूर्व नॉमिनी को लेकर कोई प्रकरण दर्ज नहीं कराया। जबकि उसके दादा-दादी की मृत्यु वर्ष-2016 में हो चूकी थी। परिवादी ने अधिवक्ता से मिलकर दबाव बनाने हेतु बढा चढाकर परिवाद पेश किया है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्याधार पर मामला तथ्य की भूल का पाया गया। और एफ आर अदम वकू तथ्य की भूल में कता की गई।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में पुलिस द्वारा पेश अनुसंधान अंतिम नतीजे के खण्डन में परिवादी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई जिससे परिवाद की पुष्टि हो सकती थी। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री के अवलोकन से पुलिस द्वारा पेश अनुसंधान अंतिम नतीजे के आधारों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का कोई समुचित आधार नहीं होने से FR अदम वकुआ तथ्य की भूल में स्वीकार की जाती हैं। परिवादी की विरोध याचिका अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अंतिम प्रतिवेदन फैसल शुमार होकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। केस डायरी संबंधित पुलिस थाने को लौटायी जावे।

(रामकन्या सोनीRJS)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रतापगढ(राज.)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
प्रतापगढ़(राज.)

Scanned with OKEN Scanner